जावेद अख्तर के बाद 'उर्दू टाइम्स' की

H.M.D 1917/2004

कुरआन की आड़ में मुसलमानों को भड़काने की साजिश

■ संवाददाता

मुंबई : कुरआन के कथित अपमान की एक खबर को तोड़ मरोड़ और बार-बार छाप कर मुंबई के दैनिक 'उर्दू टाइम्स' ने मुसलमानों में धार्मिक उन्माद पैदा करके शहर के शांत वातावरण को एक बार फिर दूषित करने की खतरनाक साजिश शुरू कर दी है. 'उर्दू टाइम्स' पिछले कई महीनों से उन मुसलमान उर्दू लेखकों के खिलाफ एक जहीला प्रचार कर रहा है जो धर्मांधता के विरोध में हैं और तीन तलाक के कानून का विरोध करते हुए कुरआन के आदेशानुसार तलाक के कानून को लागू करने की मांग करते रहे हैं.

दैनिक 'उर्दू टाइम्स' ने मुसलमानों को उत्तेजित करने के लिए महाराष्ट्र राज्य उर्दू अकादमी के एक सेमिनार की खबर छापी है जो एक महीने पूर्व उर्दू के दिवंगत लेखक कृष्न चंद्र की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में हुआ था. 'उर्दू टाइम्स' की खबर के अनुसार इस सेमिनार में इलाहाबाद से आये उर्दू के लेखक और प्राध्यापक डॉ. अली अहमद फातमी ने कुरआन को प्रोपेगंडा कहकर कुरआन का अपमान किया है. और जब उर्दू की एक लेखिका डॉ. रफिया शबनम आबिदी ने आपत्ति जताई तो अकादमी के कार्याध्यक्ष साजिद रशीद ने उन्हें झिड़क दिया. इस तरह डॉ. फातमी और साजिद रसीद दोनों ने कुरआन का अपमान किया है. इसलिए मुसलमानों को चुप नहीं बैठना चाहिए.

उर्दू टाइम्स ने पिछले महीने १२ और १३ जून को हुए सेमिनार की खबर १६ जुलाई को प्रकाशित की जिसका शीर्षक था-'महाराष्ट्र उर्दू साहित्य अकादमी के सेमिनार में कुरआन पाक की बेहुरमती (अपमान) पर खामोशी क्यों?' इसके बाद १८ जुलाई के उर्दू टाइम्स के मुखपृष्ठ पर कुरआन के कथित अपमान संबंधी एक और खबर प्रकाशित हुई है जिसका शीर्षक है-'तौहीन-ए-कुरआन: उर्दू अकादमी के चेयरमैन और संपादक 'नया सफर' की गिरफ्तारी का मुतालबा. इस खबर में दावा किया गया है कि उर्दू टाइम्स की १६ जुलाई की खबर को पढ़कर मुंबई शहर के कुछ मौलवियों ने उमरखाड़ी के विधायक वशीर पटेल के नेतृत्व में पुलिस आयुक्त से मिलकर साजिद रशीद और डॉ. फातमी की तुरंत गिरफ्तारी की मांग की है.

स्व. कृष्नचंद्र पर होने वाले दो दिवसीय सेमिनार में 'उर्दू टाइम्स' का प्रतिनिधि दोनों दिन मौजूद था. लेकिन उर्दू टाइम्स में इस सेमिनार में कथित रूप से कुरआन के अपमान की खबर के बारे में कुछ भी नहीं छपा. लेकिन एक महीने बाद इसी अखबार ने मुसलमानों

(शेष पृष्ठ १२ पर)

कुरआन *(पृष्ठ १से)*

को उत्तेजित करने वाला शीर्षक लगाकर इस खबर को प्रकाशित किया. जब 'महानगर' ने डॉ. रफिया शबनम से इस खबर के बारे में उनकी प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा कि डॉ. फातमी ने कृष्न चंद्र की कहानियों पर अपने विचार व्यक्त करते हुए जब यह कहा कि 'कृष्न चंद्र को मजदूरों और गरीबों के पक्ष में प्रोपेगंडा करने वाला कहा जाता है तो कुरआन को भी प्रोपेगंडा कहा जा सकता है जो अपने इस्लामी नजरिए की तबलीग (प्रचार प्रसार) करता है, तो फातमी के इस वाक्य पर मैंने उन्हें यह कहकर जरूर टोका था कि वे कुरआन को प्रोपेगंडा न कहें और अपने शब्द वापस लें. तब अकादमी के कार्याध्यक्ष ने मुझसे कहा कि आप डॉ. फातमी की पूरी बात सुन लें उसके बाद अपनी बात जरूर रखें. आपका इस तरह व्यवहार बजरंग दल जैसा लगता है. डॉ. रफिया शबनम के अनुसार डॉ. फातमी ने मुझसे कहा, आप जितनी मुसलमान हैं थोड़ा बहुत मुसलमान में भी हूं. मैंने प्रोपेगंडा का शब्द नकारात्मक दृष्टि से नहीं इस्तेमाल किया है बल्कि मैं इसे अंग्रेजी के शब्द प्रोपेगेशन की तरह लेता हूं जिसका अर्थ अपने-अपने नजरिए का तबलीग है और अगर आपको बुरा लगता है तो मैं माफी चाहता हूं.

डॉ. रफिया शबनम ने 'महानगर' को बताया कि डॉ. फातमी के इस स्पष्टीकरण के बाद मैं संतुष्ट हो गयी थी और वहां पर कोई अप्रिय बात फिर नहीं हुई. डॉ. रफिया शबनम ने हैरत जाहिर करते हुए कहा कि मैं नहीं जानती कि एक महीने बाद इस बात को उठाने के पीछे उर्दू टाइम्स का क्या मकसद है?

यहां गौर करने की बात यह है कि उर्दू टाइम्स लगातार धर्मांधता का प्रचार कर रहा है और उदारवादी सेकुलर मुसलमानों और लेखकों के खिलाफ घृणात्मक प्रचार करके उनकी सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है. इसकी सबसे ताजा मिसाल जावेद अख्तर हैं जिनके बारे में उर्दू टाइम्स अश्लीलता की हद तक टिप्पणी करता रहा है. जनवादी लेखक संघ के अध्यक्ष इनायत अख्तर ने उर्दू टाइम्स की निंदा करते हुए कहा कि तीन तलाक का विरोध करने वाले मुस्लिम फॉर सेकुलर डेमोक्रेसी (एमएसडी) के सदस्यों को उर्दू टाइम्स ने खास निशाना बनाया है. डा. फातमी और साजिद रशीद भी जावेद अख्तर की अध्यक्षता वाले एम.एस.डी. के सदस्य हैं और उनके खिलाफ उर्दू टाइम्स का यह सांप्रदायिक प्रचार उन्हें निशाना बनाने के लिए किया जा रहा है. उन्होंने कहा उर्दू टाइम्स अब मुस्लिम सांप्रदायिकता का प्रतीक बन चुका है.

महाराष्ट्र उर्दू राइटर्स गिल्ड के वरिष्ठ पदाधिकारी याकूब राही और सलामबिन रज्जाक ने कुरआन का नाम लेकर शहर की शांति को प्रदूषित करने के 'उर्दू टाइम्स' के षड़यंत्र की निंदा करते हुए कहा कि यह एक घिनौनी साजिश है. इसका सबूत यह है कि 'उर्दू टाइम्स' ने कथित अपमान की खबर को एक महीने बाद छापा है जबकि इसी शहर के दैनिक इंकलाब ने दो दिवसीय सेमिनार की खबर १३ और १४ जून को विस्तार से प्रकाशित की थी लेकिन उसमें कुरआन के अपमान का कोई उल्लेख नहीं था. अगर ऐसा होता तो दैनिक 'इंकलाब' भी उसे जरूर छापता. राही और सलाम ने ये भी कहा कि हम भी उस सेमिनार में मौजूद थे और वहां पर डॉ. फातमी के स्पष्टीकरण के बाद कोई गलतफहमी शेष नहीं रही थी. ये सारा विवाद 'उर्दू टाइम्स' अपने सांप्रदायिक चरित्र के अनुसार फैला रहा है. इन्होंने तमाम भाषाओं के लेखकों की एक बैठक बुलायी है. याद रहे 'उर्दू टाइम्स' पर सांप्रदायिकता फैलाने के लिए कई मुकदमे चल चुके हैं और प्रेस कौंसिल ऑफ इंडिया ने 'उर्दू टाइम्स' को १९९७ में धार्मिक उन्माद पैदा करने और सांप्रदायिकता फैलाने का दोषी ठहराते हुए सरकार से अखबार पर दो साल तक कड़ी नजर रखने की सिफारिश की थी.